प्रस्ताव

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन (श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवरों की अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन) उपविधि, 2024

1– **संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ**– (1) यह कि नगर निगम (श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवरों की अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियम न) उपविधि 2022 कही जायेगी।

2– यह उपविधि गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

3– यह नगर निगम मथुरा–वृन्दावन की सीमा के अन्दर किसी व्यक्ति द्वारा रखे/ पाले गये श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवरों के स्वामी पर लागू होगी।

4– इस निमित्त बनाई गयी या जारी की गयी उपविधि या निर्देश जो इस उपविधि के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त रही हो निष्प्रभावी हो जायेगी।

1– **परिभाषायें**– जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई धारा प्रतिकूल न हो इस उपविधि में

(क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उ०प्र० अधिनियम संख्या–3 सन् 1959) से है।

(ख) नगर निगम तात्पर्य नगर निगम मथुरा–वृन्दावन से है।

(ग) श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर यथा बिल्ली, खरगोश आदि (पशुधन के अतिरिक्त यथा–गाय, भैंस, बकरी, भेंड़, सूअर आदि) से तात्पर्य ऐसे श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर से है जिसको नगर निगम मथुरा–वृन्दावन सीमा में रखा/ पाला जाये।

(घ) निरीक्षण अधिकारी का तात्पर्य नगर आयुक्त द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी/ कर्मचारी से है।

(ङ) अनुज्ञापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो उपर्युक्त में से किसी श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवरों का स्वामी हो और जिसने इस उपविधि के अन्तर्गत नगर निगम मथुरा–वृन्दावन की सीमा में श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवरों को पालने/ रखने हेतु नगर निगम के नगर आयुक्त से अनुज्ञा प्राप्त कर ली है।

(च) अनुज्ञा का तात्पर्य इस उपविधि के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से है।

(छ) वर्ष से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत होगा।

(2) ऐसे शब्दों और पदों को जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं है किन्तु उपविधि में प्रयुक्त है वही अर्थ होगें जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

(3) **प्रतिषेध**– कोई भी व्यक्ति नगर निगम मथुरा–वृन्दावन की सीमा में किसी भी भवन अथवा स्थान पर किसी भी श्वान अन्य छोटे पालतू जानवर को नहीं पालेगा या पालने देगा जब तक पाले गये श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवरों के स्वामी द्वारा इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा प्राप्त ना कर ली गयी हो।

(4) **अनुज्ञा और उसकी अवधि**– प्रत्येक दृष्टि से संतुष्ट हो जाने के उपरान्त नगर आयुक्त द्वारा इस उपविधि के अधीन आवेदक द्वारा नगर निगम की सीमा में श्वान अन्य छोटे पालतू जानवर को रखने/ पालने हेतु एक वर्ष के लिये इस उपबन्ध पर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी कि अनुज्ञा की शर्तों के उल्लंघन पर किसी भी समय लाईसेन्स निलम्बित या निरस्त कर दिया जाये।

(5) **अनुज्ञा की शर्तें–**

(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर का स्वामी हो जाये अपने स्वामी होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर अपने श्वान अथवा अन्य छोटे पालतू जानवर के स्वामी होने के तथ्य को **प्रपत्र–1** में नगर आयुक्त को सूचित करेगा।

(2) कोई भी श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर का स्वामी अपने जानवर को किसी सार्वजनिक स्थान यथा–गली, सडक, पार्क या सड़क के आस–पास खुला नहीं छोड़ेगा ।

(3) कोई भी श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर का स्वामी अपने श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर को इस प्रकार से रखेगा या बाँधेगा कि उसके पड़ोसी या किसी अन्य व्यक्ति को श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर से कोई आपत्ति न हो।

(4) श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर गृह स्वच्छ होना आवश्यक होगा जिस हेतु श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर गृह की प्रतिदिन धुलाई एवं कीटनाशकों का छिड़काव करना आवश्यक होगा।

(5) प्रत्येक श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर स्वामी अपने श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर के सम्बन्ध में प्रत्येक वर्ष फरवरी एवं मार्च मास में अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करेगा, तत्पश्चात् यथा उपबन्धित औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरान्त अनुज्ञप्ति 01 वर्ष के लिए अनुज्ञा प्राप्त करेगा।

(6) प्रत्येक श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर स्वामी, लाईसेन्स प्राधिकारी/ नगर आयुक्त को अनुज्ञा स्वीकृति के लिये प्रपत्र–2 में आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र में श्वान अन्य छोटे पालतू जानवर का लिंग, रंग, जाति तथा टीकाकरण, बधियाकरण से सम्बन्धित समस्त सूचना अंकित करेगा। श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर स्वामी, अन्य कोई सूचना जो व्यक्तिगत प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

(7) जहाँ ऐसा कोई श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर जिसके सम्बन्ध में श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर स्वामी अनुज्ञा शुल्क के नगर निगम को भुगतान का दायी हो, मर जाये, अथवा बेच दिया जाय या अन्य किसी व्यक्ति या स्थान को स्थानान्तरित कर दिया जाय तो श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर स्वामी लाईसेन्स प्राधिकारी को तथ्य की सूचना घटना के 15 दिन के अन्दर लिखित रूप से प्रस्तुत करेगा।

(8) यह अनुज्ञा व्यवसायिक उददेश्य से रखे/ पाले गये जानवरों पर लागू नहीं होगी।

(9) श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर की संतति होने पर यथा शीघ्र उनके लिए पृथक से लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

(10) अनुज्ञाधारक को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम तथा शासन के अन्य आदेशों/ निर्देशों का पालन करना होगा।

(6) **निरीक्षण का अधिकार एवं लाईसेन्स प्राधिकारी–**

(1) नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी/ कर्मचारी किसी कैनल/ श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर गृह तथा श्वान एवं अन्य छोटे पालतू

जानवर की उचित देखभाल आदि का निरीक्षण किसी भी दिवस में किसी भी समय कर सकता है। श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर स्वामी द्वारा इस निमित्त नगर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/ कर्मचारी को निरीक्षण के समय अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा उसके आदेशों एवं निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई अधिकारी/ कर्मचारी लाईसेन्स प्राधिकारी होगा।

(7) **श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर के रहने का स्थान–** (1) श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर स्वामी अपने श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर को स्वच्छ स्थान पर रखेगा और निम्नलिखित उपबन्धों का पालन करेगा।

(क) श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर के निवास हेतु उचित स्थान की व्यवस्था करना जानवर स्वामी के लिए आवश्यक होगा।

(ख) श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर गृह को नित्य कीटनाशक से साफ किया जायेगा।

(ग) श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर स्वामी को नियमित रूप से आवश्यक टीकाकरण कराना आवश्यक होगा।

(8) **श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर के मृत शरीर/शव का निस्तारण–** श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर की मृत्यु हो जाने पर सम्बन्धित स्वामी मृत जानवर के शरीर/शव निस्तारण हेतु नगर निगम मथुरा–वृन्दावन से सम्पर्क कर सकता है अथवा स्वयं नियमानुसार निस्तारण कर सकता है। कोई भी स्वामी अपने श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर के मृत शरीर/शव को खुले में अथवा कूड़ेदान में नहीं फेंकेगा।

(9) **अनुज्ञा शुल्क–** (1) श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर स्वामी द्वारा श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर के रखने हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क फरवरी एवं मार्च मास में अग्रमि रूप से देय होगा, जो कि निम्नानुसार है–

(क) भारतीय नस्ल के श्वान	रुपया 100/– प्रति श्वान
(ख) विदेशी नस्ल के श्वान	रुपया 500/– प्रति श्वान
(ग) अन्य छोटे पालतू जानवर यथा बिल्ली, खरगोश आदि	रुपया 100/– प्रति पालतू जानवर

(2) इस उपविधि के अधीन प्राप्त लाईसेन्स 01 अप्रैल से 31 मार्च अर्थात एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा।

प्रत्येक अनुज्ञा के साथ लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा एक मेटल का टोकन जिसका मूल्य श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर स्वामी द्वारा अनुज्ञा शुल्क के साथ जमा करना आवश्यक होगा, श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर स्वामी को प्रदान किया जायेगा। जिसे श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर की गर्दन में मजबूत चमड़े या अन्य किसी पटटे के साथ बाँधा जाना आवश्यक होगा जिससे कि निरीक्षण अधिकारी/ कर्मचारी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

(10) **अनुज्ञा का नवीनीकरण एवं शास्ति–** (1) अनुज्ञा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए होगी और वर्ष में किसी भी मास में अनुज्ञा प्रदत्त होने पर पूरे वर्ष का शुल्क देय होगा।

(2) अनुज्ञा का नवीनीकरण नगर आयुक्त/ लाईसेन्स प्राधिकारी के पूर्णतया संतुष्ट हो जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।

(3) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र मार्च माह के अन्त तक प्रत्येक दशा में प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ नगर निगम कोष में नवीनीकरण शुल्क जमा कर दिये जाने की रसीद संलग्न की जायेगी।

(4) यदि 31 मार्च के उपरान्त परन्तु 30 जून से पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उस स्थिति में, अनुज्ञा शुल्क, विलम्ब शुल्क रुपया 05/– प्रतिदिन की दर से जमा करने के उपरान्त ही अनुज्ञा का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(5) अनुज्ञा नवीनीकरण के बिना तथा बिना अनुज्ञा के श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवरों को रखने एवं पालने पर नगर निगम द्वारा जुर्माना स्वरूप अधिकतम रुपया 2,500/– प्रति देसी नस्ल के श्वान तथा अन्य छोटे पालतू प्रति जानवरों के लिए एवं अधिकतम रुपया 5,000/– प्रति विदेशी नस्ल के श्वान के लिए जुर्माना लगाया जायेगा। जुर्माना जमा ना करने की स्थिति में श्वान एवं अन्य पालतू जानवर को जब्त कर लिया जायेगा तथा जब्त प्रति श्वान एवं अन्य पालतू जानवर पर प्रतिदिन रुपया 100/– का अतिरिक्त जुर्माना खान–पान/खुराक एवं रख– रखाव हेतु लिया जायेगा।

(11) **अनुज्ञा का निलम्बन निरस्तीकरण–** यदि किसी अनुज्ञाधारक द्वारा किसी भी समय लाईसेन्स की शर्तों अथवा लाईसेन्स में अभिलिखित किसी भी शर्त का उल्लघन किया जाता है/ करता है जो किं सत्यापित हो जाता है तो उस स्थिति में अनुज्ञाधारक को बचाव का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात निलम्बित कर दी जायेगी और अपराध सिद्ध की दशा में निरस्त कर दी जायेगी।

(12) **प्रशमन/ अपील–** (1) लाईसेन्स प्राधिकारी अनुज्ञा का प्रशमन निर्धारित दरों पर जुर्माना वसूल/ जमा करने के उपरान्त कर सकेगा।

(2) लाईसेन्स प्राधिकारी के आदेशों के विरूद्ध वाद उत्पन्न होने की दशा में नगर आयुक्त को आदेश के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी तथा नगर आयुक्त के आदेशों के विरूद्ध महापौर को अगले 30 दिन के अन्दर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। महापौर का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।

(13) **निषेध–** अनुज्ञा निलम्बित अथवा निरस्त हो जाने अथवा अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी दशा में श्वान एवं अन्य छोटे पालतू जानवर को नहीं रख/पाल सकेगा।

नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन